



## बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग (मिलजुल कर जब करेंगे काम, तभी बनेगा उन्नत ग्राम)



महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन

### विशेष ग्राम सभा

दिनांक 20, 21 एवं 22 नवम्बर, 2017 को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक निर्धारित तिथि को सभी प्रखंडों के एक तिहाई ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों की ग्राम सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है।

#### सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ:-

- ❖ प्रत्येक वार्ड में सहभागी प्रक्रिया के द्वारा चयनित योजनाओं का ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापन।
- ❖ ग्राम सभा द्वारा योजनाओं को जोड़ना एवं हटाना।
- ❖ निजी भूमि पर ली जाने वाली योजनाओं के लिए ग्रामिणों से आवेदन प्राप्त करना।
- ❖ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित योजनाओं (जल संरक्षण, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई आदि) के चयन पर विशेष बल।
- ❖ कृषि एवं तत्संबंधी कार्यों के चयन पर प्राथमिकता।
- ❖ जिला सिंचाई योजना (District Irrigation Plan) में शामिल मनरेगा की योजनाओं का सभी संबंधित ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापन एवं अनुमोदन।
- ❖ ग्राम सभा द्वारा चयनित सभी योजनाओं का प्राथमिकता का निर्धारण एवं अनुमोदन।

#### निजी भूमि पर मनरेगा अन्तर्गत मुख्य अनुमान्य कार्य:-



- निजी तालाब, सिंचाई सुविधा (निजी कूप आदि)
- बागवानी, वृक्षारोपण
- मेढबंधन (खेत बांध)
- भूमि विकास का उपबंध
- एन0ए0डी0इ0पी0 कंपोस्टिंग (NADEP) (गड्डे में कृषि अपशिष्ट, गोबर तथा मिट्टी को मिला कर जैविक खाद तैयार करना)
- वर्मी कंपोस्टिंग (केंचुए का उपयोग कर कृषि अपशिष्ट, गोबर इत्यादि को खाद मिट्टी में बदलना)
- लिक्विड बायो-मेन्योर (तरल जैव खाद जैसे जीवानु, संजीवक)
- कुक्कूट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल
- मवेशियों के लिए पक्का फर्श, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण
- अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक
- व्यक्तिगत धरेलु शौचालय
- मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुसार अन्य अनुमान्य श्रेणी के कार्य

